फोन:इपीएबीएक्स 3022220, 3022221, 3022211,
3022212, 3022209, 3022202
फैक्स:(91-11)3018315, 3012694
टैलेक्स:031-66259 डी०सी०एस०आई०
तार:'लघुउद्योगविकास', नई दिल्ली
कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
लघु उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110 011

Phone: EPABX - 3022220, 3022221, 3022211,
3022212, 3022209, 3022202
Fax:(91-11) 3018315, 3012694
Telex: 031-66259-DC-SSI-IN
Telegram:'SMALLINDEVCOM', NEW DELHI
OFFICE OF THE
DEVELOPMENT COMMISSIONER
SMALL SCALE INDUSTRIES
Ministry of Small Scale Industries
Government of India
NIRMAN BHAVAN, 7TH FLOOR
MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI - 110 011

URGENT/
SPEED POST/BY HAND
27 October 2006

No: 4 (1)/2006-Policy (MSME)

~ 7 NOV 2006

Secretary Industries
(I/charge of Micro, Small and Medium Enterprises)
All State Government/ UT Administration,

Directors,
Small Industries Service Institutes/
Incharge, Branch Small Industries Service Institutes,

Directors,
Regional Testing Centres

SUBJECT: CLARIFICATION ON MSME POLICY ON INVESTMENT IN EQUIPMENT FOR DETERMINING THE STATUS OF SERVICE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPEMNT (MSMED) ACT'2006.

Sir,

There have been queries in respect of the definition of the word 'equipment' utilised to determine the status of service enterprises as classified in accordance with the provisions of, the MSMED Act, 2006. It is accordingly clarified that the word 'equipment' is defined as "All instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances that are directly related to the service rendered but excluding furniture, fittings and other items not so related." Simultaneously, a detailed study is being commissioned on service enterprises which will also include further refining the definition of "equipment" vis a vis "plant and machinery", if need be.

Yours faithfully,

(Sanjeev Kaushal)
Joint Development Commissioner
Tel: 23062694 Fax 23061972

Copy for information to:

(1) All concerned as per mailing list, including financial institutions/autonomous bodies.
(2) Joint Secretary, Ministry of SSI, Udyog Bhavan, New Delhi.
(3) ADC/EA and ADC/Planning
(4) All IAs/JDCs/Directors and all Divisions at Hqrs. Office
(5) All officers up to the level of Deputy Secretary in Ministry of SSI and Ministry ARI, Udyog Bhavan, New Delhi.
(6) All Associations (by post and e-mail)
(7) Sr.PPS to Secretary (SSI)
(8) PS to AS & DC (SSI)

(Sanjeev Kaushal)
Joint Development Commissioner
Tel: 23062694 Fax 23061972

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर-05

क्रमांक: एफ 15(1)(आयु.उ./पंजी.अनु./एमएसएमई-नीति/2006 दिनांक: 16-11-2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, (समस्त)
2. सहायक निदेशक, उद्योग/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, (समस्त)
3. फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त ।
4. मास्टर फाईल ।

संयुक्त निदेशक, उद्योग

फोन:ईपीएबीएक्स 23022220, 23022221, 23022202,
23022209, 23022211, 23022212
फैक्स:(91-11)23062315, 23061726, 23061068
तार:'लघुउद्योगविकास', नई दिल्ली

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
लघु उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110 011

Phone: EPABX -23022220, 23022221,23022202,
23022209, 23022211, 23022212
Fax:(91-11) 23062315, 23061726, 23061068
Telegram: 'SMALLINDEVCOM',NEW DELHI

OFFICE OF THE
DEVELOPMENT COMMISSIONER
SMALL SCALE INDUSTRIES
Ministry of Small Scale Industries
Government of India
NIRMAN BHAVAN, 7TH FLOOR
MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI - 110 011
e mail: dcssihq@nb.nic.in

सं: 4(1)/2006-नीति (एमएसएमई)

27 अक्टूबर 2006

सचिव उद्योग
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रभारी)
सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन,

निदेशक,
लघु उद्योग सेवा संस्थान/
प्रभारी, शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान,

निदेशक,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

विषय : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के संदर्भ में सेवा उद्यम की स्थिति निर्धारित करने के लिए उपस्कर (इक्विपमेंट) में निवेश के संबंध में एमएसएमई नीति पर स्पष्टीकरण

श्रीमान,

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार वर्गीकृत सेवा उद्यमों की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त 'उपस्कर' (इक्विपमेंट) शब्द की परिभाषा के संबंध में शंकाएं रही हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 'उपस्कर' (इक्विपमेंट) शब्द को "प्रदान की गई सेवा से प्रत्यक्ष रूप में संबद्ध सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और ऐसे अन्य इलेक्ट्रो-मैकेनिकल या इलेक्ट्रानिक उपकरणों जिसमें फर्नीचर, फिटिंग्स तथा अन्य असंबद्ध मदें शामिल न हों" के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ-साथ, सेवा उद्यमों पर एक विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर "संयंत्र एवं मशीनरी" के संबंध में "उपस्कर" (इक्विपमेंट) की परिभाषा को परिष्कृत करना भी शामिल होगा।

भवदीय,

संजीव कौशल

(संजीव कौशल)
संयुक्त विकास आयुक्त
टेली : 23062694, फैक्स: 23061972

KTo

15

सूचना के लिए प्रति:

(1) डाक सूची के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों सहित।
(2) संयुक्त सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
(3) अपर विकास आयुक्त/आर्थिक विश्लेषण और अपर विकास आयुक्त/योजना
(4) सभी औद्योगिक सलाहकार/संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक और मुख्यालय कार्यालय के सभी प्रभाग।
(5) लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में उप सचिव स्तर तक के सभी अधिकारी।
(6) सभी संघ (डाक और ई-मेल द्वारा)।
(7) सचिव (लघु उद्योग) के मुख्य निजी सहायक।
(8) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के निजी सचिव।

संजीव कौशल
(संजीव कौशल)
संयुक्त विकास आयुक्त
टेली: 23062694, फैक्स: 23061972

- -

कार्यालय आयुक्त, उधोग विभाग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर-05

क्रमांक: एफ 15(1)(आयु. उ./पंजी. अनु./एमएसएमई-नीति/2006 दिनांक: 16-11-2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महा प्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र (समस्त)
2. सहायक निदेशक, उधोग/जिला उधोग अधिकारी, जिला उधोग उप केन्द्र, (समस्त)
3. फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त ।
4. मास्टर फाईल ।

संयुक्त निदेशक, उधोग